

प्रेस नोट थाना गोला जनपद गोरखपुर दिनांक 22.10.2024

चोरी का अपराध कारित करने के आरोप में 02 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा चोरी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गोला के नेतृत्व में उ0नि0 फुलीन्दर यादव मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 686/2024 धारा 303(2) भा0न्या0सं0 थाना गोला जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तागण 1.टीना 2.नगमा को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) भा0न्या0सं0 की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण -

अभियुक्तागण द्वारा वादिनी के साथ कौड़ीराम से आटो में बैठकर आते समय वादिनी के हैंडबैग में रखे पर्स जिसमे दस हजार रुपया नगद, आधार कार्ड, वोटर कार्ड व दूसरे पर्स में रखा एक चांदी का माला, एक जोड़ी कान की छोटी बाली, एक छोटी नाक की किल, दोनो पर्सों को हैंडबैग से चोरी से निकाल लेने के संबंध में थाना स्थानीय पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तागण का नाम व पता-

1. टीना पत्नी स्व0 रामाकान्त निवासी वार्ड नं0 12 टिपुरा कालोनी थाना बिहिया जनपद भोजपुर राज्य बिहार
2. नगमा पत्नी शमायाकान्त निवासी वार्ड नं0 12 टिपुरा कालोनी थाना बिहिया जनपद भोजपुर राज्य बिहार

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण -

मु0अ0सं0 686/2024 धारा 303(2),317(2) भा0न्या0सं0 थाना गोला जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

चोरी का सामान

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 फुलीन्दर यादव थाना गोला जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 देवेन्द्र सिंह यादव थाना गोला जनपद गोरखपुर
3. हे0का0 मुन्ना प्रसाद थाना गोला जनपद गोरखपुर
4. का0 रविन्द्र कुमार थाना गोला जनपद गोरखपुर
5. म0का0 प्रतिमा यादव थाना गोला जनपद गोरखपुर